

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 45/प्र०३०(भवा।)/जोन-१/N.H/2014-15 दिनांक ०२/०५/२०१६

०१

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उत्प्र०० नगर नियंत्रण राज्य विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५७ के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर नरिंग होम को देखियक्ति किया जा रहा है, इससे किसी प्रश्न या किसी स्थानीय नियम या इसका लगानीय अधिकारी या व्यक्ति अधिकारी कर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी गा कोई उत्तर पड़ना अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलियका या राजनीत्य के अधीकरण के विषय कोई प्रभाव न रखती।


श्री गणेश रिंड बघेल एवं श्री योगेन्द्र सिंह बघेल पुत्रगण श्री लाल निशाकर सिंह व अन्य द्वारा पार्ट आफ भाईट न०-१४८ वी सिंगल स्टेशन, इलाहाबाद के जोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल नरिंग होम का विनियमितीकरण भानुचित्र वी स्वीकृति/निर्माण उपायक्ष मरोदय के इन्होनेदारेश दिनांक ३०.३१.२०१६ के द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदी के अधीन प्रदान की जाती है:-

१. उत्प्र०० नगर नियंत्रण एवं विकास उत्प्र०० १९७३ की धारा ५८ (१) के प्रांतिकानो के अनुसन्ध पूर्ण। प्रगति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उत्प्र००/उत्प्र०० नियंत्रण जायेगा, प्रदान निर्माण एवं विकास उपायक्ष २००८ में उपलिय संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्राकृत्या पूर्ण तर पूर्ण। प्रगति-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. ५८ रवीकृति अनुचित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के तपाना, राशी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C वी शीर्ष पूर्ण करने के पश्चात् नियंत्रित किये जाने वाले 'पूर्ण प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस वरिसर के वास्तविक उपयोग से लागा जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अकेता करना अनिवार्य होगा, जिसमें अ फैटेफट/५०० नियंत्रण के फर्म का नाम भी अंकित हो।
४. स्थल पर ०५ अव० त्रृक्ष लगाने होंगे तथा युक्तों का उत्तर-पत्र रखने का यादित्य जायेक का होगा।
५. स्थल पर सोनर बाटर हैंटिंग संबंधी वी लगापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
६. स्थल पर रेन्याटर लार्बेस्टिन प्रणाली मात्रक के दायुसार ८०० करावर मूर्ख गर्म तल बोर्ड से अनापदा प्रगति-पत्र प्राप्त होगा, तत्पश्चात् ही 'पूर्ण प्रमाण-पत्र' नियंत्रित किया जायेग।
७. गेलिल यैरट का नियरारण अनियार्द रूप से ब्रायोनेडिकल यैरट मैनेजमेन्ट इंड हैंडलिंग रूल्स १९९८ अध्या अन्य प्रनाली नियम के अनुसार त्रुनियेता किया जाना द्वारा समय-समय पर न्यानीकरण भी करवा जाय।
८. भौके पर भौजून दुर्घाने निर्माण को लूपवर्तन इन्जीनियर की देख-सेवा में लगा करना देगा ताकि इसे सुनिश्चित किया जाय कि ध्वनीकरण के दौरान किसी भी ब्रायोर के जन-धन की हानि न होने पाए, इस आवाद का शायद पत्र (85AC 137894 दिनांक ०६.०१.२०१६) जा अकेता अनुपालन करना होगा।
९. पूर्ण स्वीकृत मानचित्र नियंत्रण स०-५५/ज०३० भवन/जोन /इस्टा०/२०१४ १० दिनांक ०२.२.२०१५ में अंकित उन्न्य प्रतिवेदनो का अदारश उन्युपालन वापसीकारी होगा।
१०. नानीय न्यायालय ने लोई बाद छोने अधिक उत्पान्न होने की स्थिति में प्रवर्त्त स्वीकृति मानचित्र वापसीला के नियम के अव०८ बोर्ड होगी। ५८ रवीकृति पूर्ण-व्यापक वा अधिकार प्रदान नहीं करती है। पूर्ण-व्यापक राज्यकी लोई भी विवाद समझ न्यायालय/उचितार्थ द्वारा ही निरुपारित किया जा सकता है।
११. यदि व्यावेदक/व्यावेदिका द्वारा लोई महत्वपूर्ण सूचना दियागी गयी है तो अश्वा गलत जूचना भी गयी है ही उत्प्र०० नगर नियंत्रण एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १८ (३) के अन्तर्गत मान-ठेक नियंत्र बर्से योग्य होगा।
१२. मानान निर्माण से यदि नाली के रासाय की पत्ती जलवा रासाय का नली के किरी गाग (जो नाला के आग भाग, एध भाग अथवा लसाके आगार के पारण कर गई हो) पत्ते छाने जूँते हो गृहसरनी दौरार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अध्यवा यादे विकास प्राधिकरण ने ५० नियंत्रित सूचना द्वारा और शीर्ष लहा तो पहले हो उसे आपने खावें से नरमत करकर पूर्ववत् अवरुद्धा जिससे विकास प्राधिकरण को रान्तोल हो जाय, मैं कर देगा।
१३. इसका भी व्याव रहना होगा कि भारतीय नियुक्त शाहिनियम १९६६ (इंडियन होलिड्सिटी रूल्स १९६६) नियम २२ का उल्लंघन केवल भी दवा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटव सकता है।

अलानक : उपर्युक्तानुसार।


Received
Notified
24/11/16

४०२०५११६
(गुलाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव
७८




37.80 M.W. STANLEY ROAD

BASEMENT PLAN




37.80 M.W. STANLEY ROAD


STILT PLAN




FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN




STAIR SECTION



FRONT ELEVATION



SITE PLAN




TERRACE PLAN

SECTION AT A-B

COMPOUND CHART

FLOOR	COMPOUND AREA				REMARK
	F.S.B. SANCTIONED AREA	S.S.B. COMPOUND AREA	S.S.B. COMPOUND AREA	S.B. COMPOUND AREA	
B.F.	110.85 M ²	7.44 M ²	6.54 M ²	13.63 M ²	26.54 M ²
G.F.	110.85 M ²	7.44 M ²	6.54 M ²	13.63 M ²	26.54 M ²
F.F.	110.85 M ²	7.44 M ²	6.54 M ²	13.63 M ²	23.44 M ²
S.F.	110.85 M ²	7.44 M ²	6.54 M ²	13.63 M ²	23.44 M ²
T.P.	110.85 M ²	7.44 M ²	6.54 M ²	13.63 M ²	23.44 M ²

KEY PLAN



RAIN WATER HARVESTING

NOTE:-

LINE CONC.R. FOUNDATION

FLOORING OVER R.C.C. SLAB

TOTAL PLOT AREA	= 352.20 M ²
ROAD WIDENING AREA	= 58.28 M ²
NET PLOT AREA	= 303.95 M ²
BASE AREA	= 110.85 M ²
SANCT. AREA ON STILT:	= 110.85 M ²
SANCT. AREA ON F.F.	= 110.85 M ²
SANCT. AREA ON S.F.	= 110.85 M ²
SANCT. AREA ON T.F.	= 110.85 M ²
OPEN AREA ON G.F.	= 19.10 M ²
MUNITY AREA	= 13.43 M ²
ACHIEVED F.A.R.	= 01.11 APPROX

EXISTING BUILDING PLAN

SANCTIONED WORK SHOWN THIS

DISMANTLE WORK SHOWN THIS

COMPOUND WORK SHOWN THIS

It is certified that the building plan has been prepared according

to Master Plan 2021/2 Zonal Plan and Survey (Hindi)

EXISTING COMPOUNDING BUILDING PLAN OF NURSING HOME ON PART OF SITE NO.146 B CIVIL STATION, ALLD.

OWNER:-

DR. MANINDRA SINGH BAGHAL
DR. YOGENDRA SINGH BAGHAL
SMT. KARUNA SINGH
SMT. ANURADHA SINGH

SCALE 1:100

95% OF OWNER SIG. OF INS.